न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

A8

अनवान :— राजस्व वाद संख्या :— 80/2017

1. राजेन्द्र प्रसाद ज्याणी पुत्र श्री आशाराम ज्याणी जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — **वादी**

—:: बनाम ::—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — **प्रतिवादी**

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री ऋषीपाल जोषी अधिवक्ता — वादी
2. श्री पैरोकार राज

— :: निर्णय ::— **दिनांक :— 01.06.2017**

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066—2069 के खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा नम्बर 36 की 2.024 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के नाम (राजेन्द्र कुमार पुत्र आसाराम) से दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 50/43 के मुरब्बा नम्बर 40, 41, 42, 45, 46, 47 की कुल 25.050 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के नाम (राजेन्द्र कुमार पुत्र आसाराम) से 8.047 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है ।

चूंकि वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के पिताजी आसाराम के स्वर्गवास होने के बाद के प्राप्त हुई। उक्त विरास्त इन्तकाल के समय कृषि भूमि के रिकार्ड में वादी का घरेलू नाम ''राजेन्द्र कुमार पुत्र आसाराम'' अंकित कर दिया, जबकि वादी के शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आदि में वादी का नाम ''राजेन्द्र प्रसाद ज्याणी पुत्र आसाराम ज्याणी'' तथा पहचान पत्र व ड्राईविंग लाईसेंस में वादी का नाम ''राजेन्द्र प्रसाद पुत्र आसाराम'' अंकित है । वादी ने दिनांक 08.07.2010 से अपना नाम ''राजेन्द्र कुमार पुत्र आशाराम'' से बदलकर ''राजेन्द्र प्रसाद ज्याणी पुत्र आशाराम ज्याणी'' कर लिया जिसकी सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाई हुई है। वादी का कृषि भूमि रिकार्ड में घरू नाम दर्ज होने के कारण, वादी के नाम से जारी मतदाता पहचान, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि से

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादी वंचित हो रहा है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित "राजेन्द्र कुमार पुत्र आसाराम" एवं "राजेन्द्र प्रसाद ज्याणी पुत्र आशाराम ज्याणी" वादी का ही नाम है तथा एक ही व्यक्ति है। वादी के शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र व ड्राईविंग लाईसेंस की प्रतियां तथा दैनिक समाचार पत्र में नाम परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना संलग्न वाद पत्र है ।

वादी ने दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

1. चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा नम्बर 36 की 2.024 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में एवं इसी चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 50/43 के मुरब्बा नम्बर 40, 41, 42, 45, 46, 47 की कुल 25.050 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के नाम (राजेन्द्र कुमार पुत्र आसाराम) से दर्ज 8.047 हैक्टर कृषि भमि जमाबन्दी मुताबिक में वादी के नाम "राजेन्द्र कुमार पुत्र आसाराम" के अंकन को दुरूस्त किया जाकर "राजेन्द्र प्रसाद ज्याणी पुत्र आशाराम ज्याणी अंकित करने के आदेश दिये जावे"।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद पत्र वादी के नाम दुरूस्ती का है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिसको सिद्ध करनें का भार स्वंय वादी का है अतः राज्य हिता को मध्य नजर रखते हुए निर्णय फरमाया जावे।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी के अधिवक्ता को सुना गया वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र के साथ ही साक्ष्य स्वरूप अपना तथा श्री दौलतराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तहसील व जिला श्रीगंगानगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जाकर उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को अनुतोष प्रदान किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के सपठित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा नम्बर 36 की 2.024 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में एवं इसी चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 50/43 के मुरब्बा नम्बर 40, 41, 42, 45, 46, 47 की कुल 25.050 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के नाम (राजेन्द्र कुमार पुत्र आसाराम) से दर्ज 8.047 हैक्टर कृषि भमि जमाबन्दी मुताबिक में वादी के नाम ''राजेन्द्र कुमार पुत्र आसाराम'' के अंकन को दुरूस्त किया जाकर ''राजेन्द्र प्रसाद ज्याणी पुत्र आशाराम ज्याणी'' अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 01.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मिर्जेवाला के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर